889 Sale 10,00,000/ Rs. ... 787

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

झारखण्ड JHARKHAND D 518279

2.865 x 324438
929514

निबंधन अधिनियम......21......के अधीन
और छोटानागपुर/संथालपरगना टेनेन्सी एक्ट की
धारा......................के अधीन भी ग्राह्य है और
इण्डियन स्टाम्प एक्ट 1899 की अनुसूचि A(1) के
खण्ड......23......के अधीन यथावत स्टाम्प सहित
(या स्टाम्प शुल्क से विमुक्त या स्टाम्प शुल्क अपेक्षित नहीं)

23-8-18

निबंधन पदाधिकारी

बिक्रय पत्र

बिक्रेता :—श्री अमरेन्द्र कुमार पिता स्वर्गीय पंडित कुमार, जाति भुमिहार ब्राहमण, पेशा नौकरी, साकिन व पोस्टालय भरतपुर, थाना बिहपुर, सबरजिष्ट्री बिहपुर, जिला भागलपुर, राज्य बिहार, राष्ट्रीयता—भारतीय।
पेन कार्ड व आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न।

क्रेता :—श्रीमती सोनी कुमारी पति श्री चुनचुन कुमार, जाति भुमिहार ब्राहमण, पेशा गृहस्वामीनी, साकिन गोरेमारा, पत्रालय व थाना सारवाँ, सबडिविजन, सबरजिष्ट्री व जिला देवघर, राज्य—झारखण्ड, राष्ट्रीयता—भारतीय।
पेन कार्ड व आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न।

झारखण्ड सरकार राजस्व निबंधन एवं भुमि सुधार विभाग के ज्ञापांक 499 एवं 500 दिनांक 19/6/17 के आलोक में शुल्क विमुक्त

जि० अ० नि०
देवघर 23/8/18

SANJAY KUMAR SINGH NOTARY Govt of Jharkhand 225/04

जिला कोषागार
21 JUL 2018
देवघर (झारखण्ड)

4048

04/8/18

अमरेन्द्र कुमार
23.8.2018

श्री...अमरेन्द्र कुमार....पिता नाम श्री/स्व0 ....

..............निवास स्थान..............

जाति..............पेशा..............जो लेख्यकारी/दावेदार

या अवर निबंधक..............द्वारा प्रमाणितकृत मुख्तारनामा

संख्या..............के अधीन लेख्यकारियों या दावेदारों

मे से एक श्री ....के अभिकर्त्ता (अटर्नी) है ने

ता0..23/8/18..के पूर्वाह्न/अपराह्न में....10.51....

(समय) जिला में निबंधन के लिए पेश किया।

उपस्थापक का हस्ताक्षर

निबंधन पदा0 का हस्ताक्षर

जिला अवर निबंधक
सत्यमेव जयते
देवघर का मुहर

अस्सल कुम

लेख्य प्रकार :—बिक्रय पत्र।

बिक्रीत सम्पत्ति की कीमत :—कुल 10,00,000/—दस लाख रूपये मात्र।

बिक्रीत सम्पत्ति का विवरण :—निम्न अनुसूची सम्पत्ति में वर्णित है।

विदित हो कि जिला संथाल परगना, वर्तमान जिला देवघर, सबडिविजन, सबरजिष्ट्री व थाना देवघर, हाल थाना कुण्डा, सामील मौजा कुण्डा के अन्दर बसौड़ी सत्व की जमीन प्लाट न0 619 का अंश, जमाबंदी न0 47/25, रकवा स्थानीय माप से 1 एक बिघा, 4 चार कटठा, यानि 51,124 वर्गफीट को पारुलवाला देवी पति श्री चारु चन्द्र चटोपाध्याय, साकिन व थाना देवघर, हाल थाना कुण्डा, जिला संथाल परगना, वर्तमान जिला देवघर की निवासनी ने, अपने पति के जीवितावस्था में अपनी संचित स्त्रीधन से हाशिल कर वो उनके एक अंश पर पक्का मकानादि बनाकर सालाना खजाना अदाय करती हुई निर्विवाद रूप से भोग दखल करती रही। गत गेन्जर सर्वे सेटलमेन्ट पर्चा में उक्त जमीन पारूधन देवी (पारुलवाला देवी) पति चारू चन्द्र चटर्जी के नाम से बसौड़ी दर्ज हुआ, **खातियान स्लीप/पर्चा की छायाप्रति संलग्न।**

उपर्युक्त पारुलवाला देवी उक्त सम्पत्ति पर बहैसियत पूर्ण मालकिन निर्विवाद रूप से भोगवती व दखलकारिणी रहती हुई दिनांक 09/05/1973 ईस्वी में निबंधन कार्यालय देवघर से निबंधित एक कीता दान पत्र पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 20, पृष्ठ संख्या 329 से 331 में निबंधित जिसकी संख्या 2571 वर्ष 1973 ईस्वी के द्वारा, अपने पौत्र श्री जयदेव चटर्जी पिता स्वर्गीय जगनेश्वर चटोपाध्याय के हक में दान कर देने पर श्री जयदेव चटर्जी उक्त सम्पत्ति के एकमात्र मालिक व दखलकार हुए।

उपर्युक्त जयदेव चटर्जी उक्त दान प्राप्त सम्पत्ति पर दखल कब्जा लेकर तथा अंचल कार्यालय में नामान्तरण वाद संख्या 245/1984—1985 ईस्वी के द्वारा अपना नाम दर्ज करवाकर सालाना खजाना अपने नाम से आदाय करते हुए बहैसियत पुर्ण मालिक निर्विवाद रूप से भोगवान व दखलकार रहे।

ATTESTED
27.5.19
Govt. of Jharkhand

उपर्युक्त जयदेव चटर्जी ने उक्त सम्पत्ति को दिनांक 29/06/1988 ईस्वी में मुम्बई निबंधन कार्यालय से निबंधित एक कीता बिक्रय पत्र संख्या 991 वर्ष 1988 ईस्वी के द्वारा, किरण देवी सराफ पति अभय कुमार सराफ, साकिन पुराना मीना बाजार देवघर, थाना व जिला देवघर की निवासीनी के पास बिक्री कर दिया।

उपर्युक्त किरण देवी सरार्फ उक्त खरीदगी सम्पत्ति पर दखल कब्जा लेकर निर्विवाद रुप से भोगवती व दखलकारिणी रहती हुई दिनांक 04/07/1998 ईस्वी में निबंधन कार्यालय देवघर से निबंधित एक कीता बिक्रय पत्र पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 122 (~~वास्ते 2000~~) पृष्ठ संख्या 12 से 20 में निबंधित जिसकी संख्या 2071 वर्ष 1998 ईस्वी के द्वारा, उक्त सेटलमेन्ट प्लाट न0 619 का अंश, मार्क 619बी. का अंश, रकवा 2,503 वर्गफीट, अन्दर जमाबन्दी न0 47/25, बमोजीव उक्त दस्तावेज के संलग्न नक्शा में लाल रंग से रंगा अंश मय कुल हक हकूक, उपर्युक्त मुझ बिक्रेता श्री अमरेन्द्र कुमार के पास बिक्री कर देने पर उपर्युक्त मैं बिकेता श्री अमरेन्द्र कुमार उक्त खरीदगी सम्पत्ति पर दखल कब्जा लेकर तथा अंचल कार्यालय देवघर में अपना नाम दर्ज करवाकर जमाबंदी न0 47/25/4 के बावत सालाना खजाना आदाय करते हुए वहैसियत पुर्ण मालिक आजतक निर्विवाद रुप से भोगवान व दखलकार हूँ, **बिकय पत्र व खजाना रसीद की छायाप्रति संलग्न।**

उक्त बिक्रय पत्र संख्या 2071 वर्ष 1998 का दस्तावेज तैयार तिथि 27.4.2010 है।

अभी मुझ बिक्रेता को अपने आवश्यक जरूरी सांसारिक खर्च के लिये रूपये की सख्त जरूरत है, इसलिये उक्त खरीदगी सम्पत्ति के अन्दर रकवा 1,248 वर्गफीट जिसका पूर्ण विवरण निम्न अनुसूची सम्पत्ति में वर्णित है, को बिक्री करने का ऐलान किया।

आप क्रेता इसे अभी के बाजार भाव की दर से अधिकतम कीमत पर अपने संचित स्त्रीधन से खरीद करने की इच्छा जाहीर करने पर उभय पक्ष की मंजूरी से इसकी कीमत कुल 10,00,000/--दस लाख रूपये तय हुए।

अतएव आज तारीख मैं बिक्रेता, आप केता कीमत के कुल 10,00,000/--दस लाख रुपये निम्न वर्णित रकम प्राप्ति रसीद (Memo of Consideration) अनुसार लेकर निम्न अनुसूची सम्पत्ति में वर्णित सम्पत्ति जो संलग्न नक्शा में लाल रंग से रंगा अंश में दिखाया गया है, मय कुल हक हकूक, आप क्रेता के पास बिक्री कर दिया और आपके दखल कब्जे में दे दिया।

अमरेश कुमार

अब आप क्रेता, मुझ बिक्रेता के सत्व व दखल से सत्ववती व दखलकारीणी होकर मय अपने उत्तराधिकारी मय वारिसान व स्थलाभिषिक्तगण क्रम से भोग, दखल दान, बिक्री मौरगेज व नाना प्रकार के वारदेन व हस्तान्तरण आदि करने की अधिकारीणी होकर स्वेच्छा पूर्वक भोग दखल करती रहें, इसमें मुझ बिक्रेता मय वारिसान को किसी भी तरह की उज्र–आपत्ति नहीं होगी, न कोई कर सकेगा, अगर कोई करे तो वह न्यायालय से निरस्त होगा।

निम्न बिक्रीत सम्पत्ति का मैं बिक्रेता ही एकमात्र मालिक हूँ, इसमें दूसरा कोई अंशदार या दखलकार नहीं है, व इसके पहले निम्न सम्पत्ति को किसी के पास किसी तरह का दाय संयूक्त या हस्तान्तरण आदि नहीं किया हूँ, हर तरह से साफ व पाक है।

निम्न बिक्रीत सम्पत्ति के बावत अगर भविष्य में मुझ बिक्रेता मय वारिसान को कुछ लिखना या करना पड़ेगा तो ऐसी स्थिति में, आप क्रेता मय वारिसान के अनुरोध व खर्च से वैसा लिखने व करने को तैयार रहूँगा।

अतएव आज तारीख मैं बिक्रेता स्वेच्छा से मन व शरीर की स्वस्थता में रहकर बिना किसी के दवाब या बहकावे के, या फुसलावे के, या धमकावे के शुद्ध अन्तःकरण व स्वस्थ चित्त में रहकर कीमत के कुल रूपये निम्न वर्णित रकम प्राप्ति रसीद (Memo of Consideration) अनुसार लेकर यह बिक्रय पत्र लिख दिया जो प्रमाण रहे, दिनांक 23.08.2018

अनुसूची सम्पत्ति

थाना न0 409, ज़िला देवघर, सबडिविजन, सबरजिष्ट्री व थाना देवघर, हाल थाना कुण्डा, सामील मौजा कुण्डा के अन्दर सर्वेक्षित बसौड़ी सत्व की हस्तान्तरणीय जमीन, सेटलमेन्ट प्लाट न0 619 का अंश मार्क 619 बी. का अंश, रकवा 1,248 वर्गफीट (एक हजार दो सौ अढ़चालीस वर्गफीट) यानि 2.865 डिसमिल परती जमीन, अन्दर गेन्जर सर्वे सेटलमेन्ट बसौड़ी जमाबंदी न0 न0 47/25, राजस्व विभाग के पंजी II का जमाबंदी न0 47/25/4, देवघर नगर निगम वार्ड न0 36, जो संलग्न नक्शा में लाल रंग से रंगा हुआ में दिखाया गया है, मय कुल हक हकूक, बिक्री किया जिसकी चौहद्दी :–

ATTESTED
8/2/5/15
Govt. of Jharkhand

उत्तरः—12′—00″ फीट चौड़ा प्रपोज्ड रोड।

इधर की माप पुरबा पश्चिमा 27′—10″ फीट।

दक्षिण :—प्रभात कुमार व कंचन देवी की जमीन व मकान।

इधर की माप पुरबा पश्चिमा 28′—03″ फीट।

पुरब :—आम रास्ता।

इधर की माप उत्तरा दखिना 44′—06″ फीट।

पश्चिम :—बिकेता की जमीन।

इधर की माप उत्तरा दखिना 44′—06″ फीट।

Govt. of Jharkhand

उमेश कुमार

घोषणा :—उक्त बिक्रीत सम्पत्ति अन्य सड़क में है जो आवासीय है, तथा लीज से मुक्त है, निर्धारित मूल्यांकन के अनुसार स्टाम्प दिया गया है। उक्त बिक्रीत सम्पत्ति सरकारी भूमि (केशरे हिन्द भूमि/गैरमजरूआ आम भूमि/गैरमजरूआ खास भूमि/बन भूमि/जंगल आदि/विभिन्न विभागों के अर्जित/हस्तान्तरित तथा अन्य श्रेणी की सरकारी भूमि आदि) के अर्न्तगत नहीं है। उक्त बिक्रीत सम्पत्ति गोचर, भूहदबन्दी, आदिवासी खाते की नहीं है व कब्रिस्तान, दरगाह या अन्य धार्मिक स्थल की नहीं है तथा चारागाह के अर्न्तगत भी नहीं है।

गवाहान

नाम - शंकर प्र० सिंह 23.08.18
पिता - स्व० हरि प्र० सिंह
मो० चौहान भवन करनीबाग
पो० थाना कुण्डा देवघर
9430153130

शंकर प्र० सिंह

बालदेव प्र० राय, ग्राम प्रधान पाण्डेयडीह [illegible] पिता स्व० भागवत राय
थाना सारवाँ जिला देवघर 23.08.18

चन्द्रशेखर चौधरी पिता - स्व० रामपुकार चौधरी ग्रा० पो० - कुण्डा देवघर
7631122450
थाना - कुण्डा

कैफियत - इस दस्तावेज के पन्ना संख्या 3 के धारी 8 में वास्ते 2000 काटा गया है तथा धारी 17 लिखा गया है जहाँ लेख्यकारी का हस्ताक्षर है वा० कातिब सीताराम पंडित

ATTESTED 21/3/19
[illegible] Govt. of Jharkhand [illegible] INDIA

अमरेन्द्र कुमार

रकम प्राप्ति रसीद

(Memo of Consideration)

Cheque No. 720801 dated 03.08.2018 S.B.I. Sarwan of Rs.—10,00,000=00 (Ten Lac) only as full and final consideration money.

अमरेन्द्र कुमार

ATTESTED
2/11/19
Regd No
Govt. of Jharkhand INDIA

अमरेन्द्र कुमार

बिक्रेता छायाचित्र, हस्ताक्षर व टीप निशान—

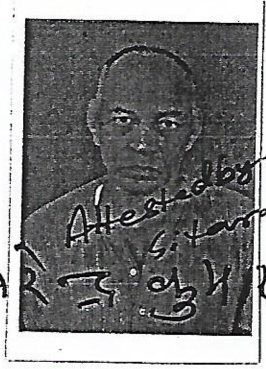

मो० न० 7549315313

अमरेन्द्र कुमार

23.08.2018

केता छायाचित्र, हस्ताक्षर व टीप निशान—

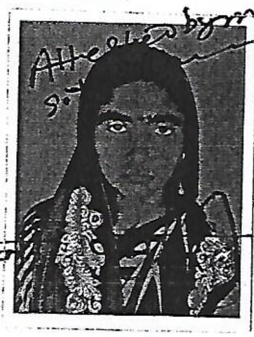

9631875649

सोनी कुमारी

23.08.2018

दस्तावेज पढ़कर फरीकैन को सुना व समझा दिया, प्रारूपकर्ता सीताराम पंडित
डीड रायटर देवघर, दिनांक 23.08.2018
प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिनका छायाचित्र दस्तावेज में लगा है, के बॉये हाथ के अगूलियों के निशान मेरे द्वारा लिया गया है सीताराम पंडित
डीड रायटर देवघर, दिनांक 23.08.2018
L.N. 37(5) 1982

PLAN OF LAND UNDER MOUZA:- KUNDA NO- 409 WITHIN DEOGHAR NAGAR NIGAM WARD NO- 36 J. B. NO- 47/25/4 PART OF PLOT NO-619,619B AREA:- 1248sqft. SHOWN IN RED COLOUR BELONGS TO AMRENDRA KUMAR S/O LATE PANDIT KUMAR & NOW SOLD TO Smt. SONI KUMARI W/O CHUNCHUN KUMAR OF GOREMARA , P.S- SARWAN, DIST- DEOGHAR.